न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 07/2016
वाद–पत्र दायरी दिनांक : 29/01/2016
निर्णय दिनांक : 17/02/2021

आनन्दी पुत्री नारायण पत्नी जगदीश, जाति जाट, निवासी श्रीरामपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम आखतड़ी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राज0।

–– वादीया

बनाम

1. नारायण पुत्र हणुता, जाति जाट, निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. राजू पुत्र नारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
3. राजा पुत्री नारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
4. रामफूल पुत्री नारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
5. दशरथ पुत्र नारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
6. तहसीलदार/उपपंजीयक, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

–– प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 व 188 रा0टी0ए0

उपस्थिति – श्री हरीश कुमार
विद्वान अधिवक्ता वादीया

श्री ओमप्रकाश तंवर
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ल. 5

प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से
पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 17/02/2021

–: निर्णय :–

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के आराजी खाता संख्या 134 के आराजी खसरा नम्बर 424 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.0900 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.4100 हैक्टेयर व खाता संख्या 129 के आराजी खसरा नम्बर 600 रकबा 0.3800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 601 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 602 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 605 रकबा 0.4200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 662 रकबा 0.4500 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 1.3900 हैक्टेयर वाके ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है, जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज उक्त आराजी में वादी हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या 3 हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या 4 हिस्सा 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 5 हिस्सा 1/6 के अनुसार दर्ज होना चाहिये तथा इसी अनुसार पक्षकारान वर्तमान में मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा विवादित आराजीयात पक्षकारान की मौरूसी मुश्तर्का एवं पैतृक सम्पति हैं। मुताबिक सिजरा पक्षकारान का पूर्वज अर्थात वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हणुता रहा है, जिसके नाम से विवादित आराजीयात का पर्चा जारी हआ था, इस प्रकार विवादित आराजीयात पक्षकारान की पैतृक एवं मौरूसी मुश्तर्का आराजीयात हैं, जो प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये विरासत प्राप्त हुई है, प्रतिवादी संख्या 1 के वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 जायन्दा पुत्र–पुत्री है, इसलिये मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज हिस्से में वादीया संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा है तथा इसी अनुसार मौके पर पक्षकारान काबिज काश्त हैं। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादीया का पिता है, जिसको दीगर भूमाफिया व्यक्तियों द्वारा बहला फुसला दिया है, जिससे वह उक्त विवादित आराजीयात से वादीया को उसके हक व हिस्से से महरूम रखते हुये विवादित आराजीयात का बैचान करने पर आमादा है, जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नही हैं। पूर्व मे भी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लोगों के बहकावें में आकर अपने हिस्से की आराजीयात का बैचान कर दिया

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) कूदू

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) कूदू

था। वादीया अपने हिस्से पर मौके पर काबिज काश्त हैं। वादीया के पास एकमात्र उक्त आराजीयात ही आजीविका का साधन है, जिससे वादीया काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करती आ रही है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजीयात का दीगर व्यक्तियों को बैचान करने पर आमादा हैं, जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नही हे, जबकि विवादित आराजीयात पैतृक आराजीयात होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विवादित आराजीयात में वादीया का बाई बर्थ हक व हिस्सा बनता हैं। दिनांक 20/01/2016 को जब वादीया विवादित आराजीयात पर सार–संभाल करने गयी तो वहां पर प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य दीगर व्यक्ति वहां पर मौजूद थे, जब वादीया ने इस बाबत उनसे पूछा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया को धमकी दी कि उक्त आराजीयात को दीगर व्यक्तियों को बैचान कर वादीया को उसके कब्जे काश्त से बेदखल किया जावेगा, जिससे वादीयसा को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने बाबत यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं।

वादीया ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावें कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में दर्शित पैतृक आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में वादीया को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4 को 1/6 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 5 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजी वर्णित वाद–पत्र के पैरा सं. 1 वादीया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी उत्पन्न न स्वंय करें न अन्य से करावें तथा न कब्जे काश्त से बेदखल करें, न ही उक्त आराजीयात को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल विकय आदि करें तथा राजस्व रिकार्ड एंव मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। डिकी की पालना हेतु तहसीलदारजी मौजमाबाद को लिखा जावें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 25/05/2016 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बावजूद तामिल उपस्थित नही हुये, इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 6 फोरमल पक्षकार हैं। जो उपस्थित होकर जवाब पेश नही

सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक) दूदू

करना जाहिर किया। दिनांक 02/01/2018 को श्री ओमप्रकाश तंवर एडवोकेट द्वारा वकालतनामा व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 7 व 151 जा0 दी0 पेश किया गया।

दिनांक 15/01/2018 को वकील वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 व धारा 151 सी.पी.सी. पर अनापत्ति दर्ज कर अपने हस्ताक्षर किये गये। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 व 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया गया। दिनांक 03/04/2018 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा ईकबालिया जवाबदावा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीया साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीयसा द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी कुल किता 3, मिलान क्षैत्रफल, चकबन्दी कुल किता 03 तथा पप्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाबदावा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक सिजरा पक्षकारान के पूर्वज वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हणुता रहा है, जिसके नाम से विवादित आराजीयात का पर्चा जारी हुआ था, इस प्रकार विवादित आराजीयात पक्षकारान की पैतृक एवं मौरूसी मुश्तर्का आराजीयात है, जो प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये विरासत प्राप्त हुयी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 जायन्दा पुत्र–पुत्री है, इसलिये मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज हिस्से में वादीया संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा बनता हैं। इस प्रकार विवादित आराजीयात पक्षकारान की पैतृक एवं मौरूसी मुश्तर्का आराजीयात होना साबित होती है, चूंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पैतृक आराजी में बाई बर्थ (जन्मजात) हक व हिस्सा होता है, ऐसी स्थिति में उक्त आराजीयात में भी कानूनन वादीया का 1/6 हिस्सा बनता है, जिसको प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत वादीगण के वाद को स्वीकार किया है एवं डिक्री किये

सहायक कलक्टर,

जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही जताई हैं। ऐसी स्थिति में वादीया का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 134 के खसरा नम्बर 424, 425 कुल किता 02 कुल रकबा 0.4100 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 129 के खसरा नम्बर 600, 601, 602, 605, 662 किता 05 कुल रकबा 1.3900 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में वादीया को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 को 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 को 1/6 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17/02/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फ़ास्ट ट्रेक)
दूदू जिला जयपुर राज०।
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू ...... मुकाम ......

व इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (RAS)

आमन्त्री पुत्री नारायण पत्नि जगदीश जाति जाट नि॰ श्रीरामपुरा तह॰ मौजमाबाद हाल नि॰ आखडी तह॰ मालपुरा जिला - टोंक राज. बनाम ① नारायण पुत्र हणुता ② राजू ③ राजा ④ रामफूल ⑤ दशरथ वारिसान नारायण जाति जाट नि॰ श्रीरामपुरा ④ तहसीलदार मौजमाबाद

दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकद्दमा न. 07/2016 सन् ......

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधि. श्री. हरीश कुमार साहू

व हाजिरी ...... भिनजानिब मुद्दई रूबरू अधि. श्री ओमप्रकाश तंवर

...... भिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीया का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता सं॰ 134 के खसरा नं॰ 424, 425 कुल किता 02 कुल रकबा 0.4100 हैक्टे॰ एवं खाता सं॰ 129 के खसरा नं॰ 600, 601, 602, 605, 662, कुल किता 05 कुल रकबा 1.3900 हैक्टे॰ भूमि वाके ग्राम श्रीरामपुरा तह॰ मौजमाबाद जिला जयपुर में प्रति॰ सं॰ 1 के नाम दर्ज आराजी में वादीया P.T.O.

...... निज ...... मुबलिग ......

...... बाबत् ...... खर्चा इस मुकद्दमे के गय सूद बशरह ......

...... फीसदी ...... सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ...... का अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 02 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत सहायक कलक्टर

ओहदा (फास्ट ट्रेक) दूदू

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत्			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान्		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् ईजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
			मीजान		
मीजान					

पेज॰ सं॰ 1

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहिए।

डिक्री पत्र

आनन्दी देवी बनाम नारायण

दावा

को 1/6 हिस्सा, प्रति- स. 1 को 1/6 हिस्सा, प्रति. सं. 2 को 1/6 हिस्सा, प्रति. स. 3 को 1/6 हिस्सा; प्रति-स. 4 को 1/6 हिस्सा एवं प्रति. स. 5 को 1/6 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।